निवेदन प्रार्थी का सूना गया। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा मौजा सिलारिया के खाता संख्या 388 के खसरा नम्बर 141 रकबा 2.6709 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार का नाम सीताराम पुत्र धुड़ाराम के स्थान सीताराम पुत्र धुलाराम शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज मौजा सिलारिया के खाता संख्या 388 के खसरा नम्बर 141 रकबा 2.6709 हैक्टेयर की जमा बदीं के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम सीताराम पुत्र धुलाराम के स्थान पर सीताराम पुत्र धुड़ाराम भूलंवश दर्ज किया जाना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार यह ताईद होता है कि प्रार्थी का अन्य दस्तावेजात में नाम एवं राजस्व रिकोर्ड में नाम में भिन्नता है। प्रार्थी के नाम राजस्व रिकोर्ड में शुद्ध किया जाता है रिकोर्ड दुरस्ती से सुलभता रहेगीं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थीगण का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में मौजा सिलारिया के खाता संख्या 388 के खसरा नम्बर 141 रकबा 2.6709 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार सीताराम पुत्र धुड़ाराम के स्थान पर सीताराम पुत्र धुलाराम दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: : आदेशः : –

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के स्वीकार किया जाता मौजा सिलारिया के खाता संख्या 388 के खसरा नम्बर 141 रकबा 2.6709 हैक्टेयर में दर्ज **सीताराम पुत्र धुड़ाराम के स्थान पर सीताराम पुत्र धुलाराम दुरूस्त/दर्ज किया जाने का आदेश दिये जाते है। उपरोक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा।** तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

आदेश आज दिनांक 18/02/25 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)

Scanned with CamScanner